115
18

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

पक्षकारों के अधिकारों के संरक्षण अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के लिये केन्द्र अपील राजस्व प्रकरणों में प्रकरण स्वीं व [illegible] दिनांक [illegible] के क्रमशः राजस्व [illegible] दिनांक [illegible] को पक्षकार [illegible] नहीं होने के कारण कार्यवाही की जाती है प्रकरण स्वीं को पुनः रखा। प्रकरण में पुनः पक्षकारों को सूचना [illegible] निर्धारित [illegible] पालना आदि [illegible] प्रकरण [illegible] नोटिस तैयार करें।

[illegible]

नायब तहसीलदार अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
[illegible] (भीलवाड़ा)